

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
राज्य वित्त
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2016 की प्रतिवेदन सं. 4

विषय सूची		
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राककथन		v
विहंगावलोकन		vii-ix
अध्याय - 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	2
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश	1.2	2
बजट अनुमान व वास्तविकता	1.3	3
सरकार के संसाधन	1.4	4
राजस्व प्राप्तियां	1.5	4
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	8
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	12
परिसम्पत्तियां व देयताएं	1.9	14
ऋण प्रबंधन	1.10	15
राजकोषीय असंतुलन	1.11	16
निष्कर्ष	1.12	19
सिफारिशें	1.13	20
अध्याय-2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	21
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	21
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	22
व्यय की कमी के कारण लेखों में समायोजित की गई वसूलियां	2.4	27
अनुदान सं. 6- शिक्षा के पुनरीक्षण के निष्कर्ष	2.5	27
निष्कर्ष	2.6	29
सिफारिशें	2.7	29

अध्याय-3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	31
निकायों / प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा	3.2	32
दुर्विनियोजन, हानियां तथा गबन	3.3	33
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	33
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	33
उचंतं शेष	3.6	34
मुख्य शीर्ष-7610- सरकारी सेवकों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष	3.7	35
लेखों का गलत वर्गीकरण	3.8	36
निष्कर्ष	3.9	36
सिफारिशें	3.10	37

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा	39
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	40
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आंकड़े	42
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियां	45
1.5	वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	46
2.1	वर्ष 2015-16 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है	50
2.2	₹ 10 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची	51
2.3	विभिन्न अनुदान/विनियोजन जहां संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे	54
2.4	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहां अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)	57
2.5	वार्स्तविक प्रावधानों के ₹ एक करोड़ और 60 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण	62
2.6	विभिन्न अनुदान/विनियोग जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ की विवरणी	65
2.7	₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं हुआ का विवरण	65
2.8	अवास्तविक बजटीकरण जहां सम्पूर्ण प्रावधान सी एस एस तथा एस सी एस पी के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा	66
2.9	वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह	68
2.10	बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई तथा समाप्त हो गई	70
2.11	अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत	71
3.1	निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी	73